Commission before the Prime Minister; and

(b) whether any action has been initiated against Maruti Heavy Vehicles Limited and the then Ministers of Petroleum and Finance who recommended acceptance of Maruti tenders in defiance of the clearly-stated view of ONGC, Petroleum Secretary and the two Secretaries in the Finance Department?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under enquiry by the Central Bureau of Investigation.

देश में बनी यूरिया खाद की उत्पादन लागत

1175. **श्री बजभूषण तिवारी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में बनी यूरिया खाद का प्रति टन मूल्य क्या है और उस पर उत्पादन शुल्क और बिक्री कर कितना-कितना लिया जाता है; और

(ख) आयातित यूरिया का प्रति टन मूल्य क्या है और उस पर कितना कितना उत्पादन शुल्क और बिक्री कर लिया जाता है ।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) प्रायोजना की पूंजीगत लागत प्रयोग की गई सम्भरण सामग्री, अपनाई गई प्रक्रिया और अन्य सम्बन्धित पहलुओं पर आधारित होने के कारण देशी यूरिया की वास्तविक उत्पादन लागत एक संयंत्र से दूसरे संयंत्र में भिन्न-2 है । यूरिया का बिक्री मूल्य उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत नियंत्रित है और देशी निर्माताओं को इस समय उनकी वास्तविक उत्पादन लागत का ध्यान न रखते हुए उनको 1245 रुपए प्रति मी० टन यूरिया की कारखाने से बाहर वसूली की अनुमति दी जाती है ।

उत्पादन शुल्क 15% यथा मूल्य की दर से लिया जाता है और बिक्री कर की दर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न भिन्न है । पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने उर्वरकों को बिक्री कर से छूट दी है । अन्य राज्यों में बिक्री कर की दर 2% से 6% तक के बीच में है । केन्द्रीय बिक्री कर की दर 4% है और वह केवल उन राज्यों के लिए लागू है जहां राज्य सरकार ने बिक्री कर लगाया है ।

(ख) आयातित यूरिया के प्रति टन का मूल्य परिवहन सौदा करने के समय अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट में मांग और सप्लाई की स्थिति पर निर्भर होते हुए विभिन्न ठेकों और सप्लाई के विभिन्न स्रोतों के लिए भिन्न-2 है । आयात यूरिया का मूल्य बताना देश के वाणिज्यक हित में नहीं होगा । उस पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है । परन्तु 5% की दर से सहायक सीमा शुल्क और 15% की दर से सीमा शुल्क के बराबर आयातित यूरिया पर लागू है । केन्द्रीय और राज्य बिक्री कर के बारे में स्थिति वैसी ही है जैसे कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताई गई है ।

Issue of Concessional Passes

1176. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether all concessional passes issued by the previous Government have been cancelled; and

(b) if so, the number of such passes and the names and addresses of those persons whose passes were cancelled?